न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-90/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

विजय पातर मुन्डा बनाम गुरूवारी कुमारी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

27.01.21

विक्रेता का नाम एवं पता – विजय पातर मुन्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुन्डा, ग्राम–टाँगरटोली बुन्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता – गुरूवारी कुमारी पिता–श्री बुधन लाल मुन्डा, ग्राम–हुवांगहातु, पो०–वारूहातु, थाना–बुन्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री कालीपद महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–31/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता गुरूवारी कुमारी पिता–श्री बुधन लाल मुन्डा, ग्राम–हुवांगहातु, पो०–वारूहातु, थाना–बुन्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
अलना	बुण्डू/19	18	177	0.05 ए०
			01	0.01 ए०
				कुलः 0.06 ए०
				चौहद्दीः–
				उ०–रामजीवन पातर।
				द०–विक्रेता नीज।
				पू०–रामजीवन पातर।
				प०–प्रस्तावित रास्ता।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईश्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–31 दिनांक–18/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत बुधन वो मंगल पेशरान दादु पातर कौम पातर के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम बुदन पातर वगैरह है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2015–16 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता है। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड़ किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–3.56 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को चिकित्सा एवं मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता विजय पातर मुन्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुन्डा, ग्राम–टाँगरटोली बुन्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–कृषि, को क्रेता गुरूवारी कुमारी पिता–श्री बुधन लाल मुन्डा, ग्राम–हुवांगहातु, पो०–वारूहातु, थाना–बुन्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–31/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता विजय पातर मुन्डा पिता–स्व० सहदेव पातर मुन्डा, ग्राम–टाँगरटोली बुन्डू, पो०–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–कृषि, को क्रेता गुरूवारी कुमारी पिता–श्री बुधन लाल मुन्डा, ग्राम–हुवांगहातु, पो०–वारूहातु, थाना–बुन्डू, जिला–राँची, जाति–मुन्डा, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी

अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
अलना	बुण्डू / 19	18	177 01	0.05 ए० 0.01 ए० कुलः 0.06 ए० चौहद्दीः– उ०–रामजीवन पातर। द०–विक्रेता नीज। पू०–रामजीवन पातर। प०–प्रस्तावित रास्ता।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहत्ता।
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।